

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल (ISBT) सोसाइटी के कार्यों के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा गार्ड एवं अन्य मानव बल की सेवाओं के भुगतान एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध नागरिक सुविधा मद से अवशेष राशि में से रू० 165.00 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

पाटलिपुत्र बस टर्मिनल (ISBT) सोसाइटी के कार्यों के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा गार्ड एवं अन्य मानव बल की सेवाओं के भुगतान एवं आवश्यक कार्य हेतु विभागीय राज्यादेश सं०-467, दिनांक-15.03.2024 द्वारा राशि रू० 500.00 लाख (पाँच करोड़ रू०) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश सं०-62, दिनांक-18.04.2025 द्वारा राशि रू० 100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र आवंटित की गई है। बुडको के पत्रांक-2522, दिनांक-21.08.2024 द्वारा अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है पुनः जिला पदाधिकारी, पटना-सह-अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, पटना के पत्रांक-31, दिनांक-23.02.2026 द्वारा अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०-527, दिनांक-24.03.2026 द्वारा राशि रू० 400.00 लाख (चार करोड़ रू०) मात्र आवंटित की गई परन्तु राशि की निकासी कतिपय कारणों से कोषागार से नहीं हुआ। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-4881, दिनांक-30.04.2026 द्वारा विभागीय राज्यादेश सं०-527, दिनांक-24.03.2026 अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति को रद्द किया गया है।

2. पुनः पाटलिपुत्र बस टर्मिनल (ISBT) सोसाइटी के कार्यों के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा गार्ड एवं अन्य मानव बल की सेवाओं के भुगतान एवं आवश्यक कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष, 2025-26 में राशि रू० 165.00 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख रू०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत्यादेश सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	अवशेष राशि(4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	पाटलिपुत्र बस टर्मिनल (ISBT) सोसाइटी के कार्यों के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत सुरक्षा गार्ड एवं अन्य मानव बल की सेवाओं के भुगतान एवं आवश्यक कार्य।	467 / 15.03.2024	500.00	100.00	165.00	235.00

3. उक्त स्वीकृत कुल रू० 165.00 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख रू०) मात्र के स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 236, दिनांक- 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको के PL खाता सं०- PTSPLA006 तथा HOA- 00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।**

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. स्वीकृत कुल राशि रू० 165.00 लाख (एक करोड़ पैंसठ लाख रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01- राज्य की राजधानी का विकास-लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता-उप शीर्ष- 0109-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217011910109, विषय शीर्ष- 0109.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगा।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-03/ना०सु०-22-38/2025 के पृष्ठ सं०-~~17~~ /टि० पर दिनांक-~~12-05-26~~ को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-~~20~~ /टि० पर दिनांक-~~22-5-26~~ को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/ना०सु०-22-38/2025 40 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-26/5/26

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/उप सचिव-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखाशाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।